न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 49 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भीखसिंह पुत्र सुखसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र सुखसिंह
3. बेरिसालसिंह पुत्र सुखसिंह
4. खीमसिंह पुत्र इज्जतसिंह

जाति राजपूत निवासी मांगीणी पटवार क्षेत्र बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मालसिंह पुत्र भेरसिंह

2.भोमसिंह पुत्र भेरसिंह

3.श्रीमती राजकंवर पत्नी भेरसिंह(फौत)

4.राणसिंह पुत्र पूरसिंह

5.शैतानसिंह पुत्र आम्बसिंह

6.मांगूसिंह पुत्र डाउसिंह जाति राजपूत निवासी मांगणी पटवार क्षेत्र बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर

7.भूरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर

8.दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा शिव जरिये प्रवन्धक

9.स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिव जरिये शाखा प्रबन्धक

10राज. राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक शिव जिला वाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2018 बअनवान मालसिंह वगै. बनाम राजसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी, श्री हरिराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सेटलमेंट के ग्राम सवाला तहसील शिव वर्तमान राजस्व ग्राम मांगीणी पटवार क्षेत्र बालासर तहसील शिव के खसरा संख्या 212 रकबा 1164.02 बीघा भूमि और खसरा संख्या 101, 159, 182 की भूमि महादानसिंह के समय की आई हुई है, जिसका पर्चा लगान इज्जतसिंह पुत्र हेमराजसिंह 1/6 हिस्सा, पदमसिंह पुत्र भूरसिंह 1/6 हिस्सा, भेरसिंह, राणसिंह व मगसिंह पिसरान पूरसिंह का 1/6 हिस्सा और सोना राजा कोहला पिसरान महादानसिंह का 1/2 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हुआ है तथा इस पर्चा लगान में सोना, राजा कोहला को महादानसिंह का पुत्र गलत बता कर उनका नाम पर्चा लगान में गलत लिखा है। उपरोक्त खसरे की भूमि में सोना कोहला व राजा का कोई हक हिस्सा नहीं है, जबकि इसी गांव के खसरा संख्या 161, 195, 252 का पर्चा लगान राजा, कोहला, सोना पिसरान मोहबतसिंह के नाम से जारी हुआ है। इस प्रकार राजा, कोहला, सोना मोहबतसिंह के पुत्र है, महादानसिंह के पुत्र नहीं है। सोना, कोहला, राजा जो मोहबतसिंह के पुत्र है उनके नाम से अलग से खेत खसरा संख्या 161, 195, 252 है और उनका खेत खसरा संख्या 212 आदि में कोई हक हिस्सा नहीं है। सेटलमेंट वालों ने उनके नाम से खसरा संख्या 212, 101, 159, 182 का गलत पर्चा लगान जारी किया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर खसरा संख्या 212, 101, 159, 182 की भूमि में इज्जतसिंह पुत्र हेमराजसिंह 1/3 हिस्सा, पदमसिंह पुत्र भूरसिंह का 1/3 हिस्सा और भैरसिंह, राणसिंह, मगसिंह पिसरान पूरसिंह का 1/3 हिस्सा का पर्चा लगान जारी होना चाहिए था, जो पर्चा लगान उपरोक्त प्रकार से जारी नहीं हुआ। उतरदाता संख्या 01 से 03 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिसमें पेशी तारीख 13.03.2018 प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस दिये गये थे, उस समय पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। उसके पश्चात दिनांक 13.04.2018, 27.04.2018, 31.07.2018, 13.09.2018, 26.10.2018, 21.12.2018, 11.01.2019, 25.01.2019, 27.02.2019, 10.04.2019, 07.06.2019 को भी पीठासीन अधिकारी नही थे और पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही कोई पेशियां ही ली, उस समय विधानसभा के चुनाव थे। इस प्रकार उपरोक्त पत्रावली पेशी में आने का न तो अपीलांटगण को ज्ञान रहा। दिनांक 18.06.2019 को उतरदाता मालसिंह के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवा दी और उसके पश्चात दिनांक 15.07.2019 को उतरदातागण के वकील ने पुनः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करना बता कर एकतरफा कार्यवाही रद्द करवा दी और उसी दिन उतरदाता ने अपने पक्षकार के साक्ष्य में पेशी रखवा दी जिसका ज्ञान भी न तो अपीलांटगण को

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

हुआ और न ही अपीलांटगण के अधिवक्ता को हुआ और न ही दिनांक 10.02.2020 को कोई आदेशिका लिखी गई। इस प्रकार अपीलांटगण के विरूद्ध विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 को एकतरफा पारित कर दी गई। अपीलांटगण हमेशा यही समझते रहे की उनके अधिवक्ता पैरोकारी कर रहे है, परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में एकतरफा निर्णय व डिक्री हो गई जिसमें अपीलांटग्ण का कोई कसूर नहीं है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही व असावधानी के आधार पर अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि सेटलमेंट के ग्राम सवाला तहसील शिव वर्तमान राजस्व ग्राम मांगीणी पटवार क्षेत्र बालासर तहसील शिव के खसरा संख्या 212 रकबा 1164.02 बीघा भूमि और खसरा संख्या 101, 159, 182 की भूमि महादानसिंह के समय की आई हुई है, जिसका पर्चा लगान इज्जतसिंह पुत्र हेमराजसिंह 1/6 हिस्सा, पदमसिंह पुत्र भूरसिंह 1/6 हिस्सा, भेरूसिंह, राणसिंह व मगसिंह पिसरान पूरसिंह का 1/6 हिस्सा और सोना राजा कोहला पिसरान महादानसिंह का 1/2 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हुआ है तथा इस पर्चा लगान में सोना, राजा कोहला को महादानसिंह का पुत्र गलत बता कर उनका नाम पर्चा लगान में गलत लिखा है। उपरोक्त खसरे की भूमि में सोना कोहला व राजा का कोई हक हिस्सा नहीं है, जबकि इसी गांव के खसरा संख्या 161, 195, 252 का पर्चा लगान राजा, कोहला, सोना पिसरान मोहबतसिंह के नाम से जारी हुआ है। इस प्रकार राजा, कोहला, सोना मोहबतसिंह के पुत्र है, महादानसिंह के पुत्र नहीं है। सोना, कोहला, राजा जो मोहबतसिंह के पुत्र है उनके नाम से अलग से खेत खसरा संख्या 161, 195, 252 है और उनका खेत खसरा संख्या 212 आदि में कोई हक हिस्सा नहीं है। सेटलमेंट वालों ने उनके नाम से खसरा संख्या 212, 101, 159, 182 का गलत पर्चा लगान जारी किया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर खसरा संख्या 212, 101, 159, 182 की भूमि में इज्जतसिंह पुत्र

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

हेमराजसिंह 1/3 हिस्सा, पदमसिंह पुत्र भूरसिंह का 1/3 हिस्सा और भैरसिंह, राणसिंह, मगसिंह पिसरान पूरसिंह का 1/3 हिस्सा का पर्चा लगान जारी होना चाहिए था, जो पर्चा लगान उपरोक्त प्रकार से जारी नहीं हुआ। उतरदाता संख्या 01 से 03 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिसमें पेशी तारीख 13.03.2018 प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस दिये गये थे, उस समय पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। उसके पश्चात दिनांक 13.04.2018, 27.04.2018, 31.07.2018, 13.09.2018, 26.10.2018, 21.12.2018, 11.01.2019, 25.01.2019, 27.02.2019, 10.04.2019, 07.06.2019 को भी पीठासीन अधिकारी नही थे और पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही कोई पेशियां ही ली, उस समय विधानसभा के चुनाव थे। इस प्रकार उपरोक्त पत्रावली पेशी में आने का न तो अपीलांटगण को ज्ञान रहा। दिनांक 18.06.2019 को उतरदाता मालसिंह के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवा दी और उसके पश्चात दिनांक 15.07.2019 को उतरदातागण के वकील ने पुनः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करना बता कर एकतरफा कार्यवाही रद्द करवा दी और उसी दिन उतरदाता ने अपने पक्षकार के साक्ष्य में पेशी रखवा दी जिसका ज्ञान भी न तो अपीलांटगण को हुआ और न ही अपीलांटगण के अधिवक्ता को हुआ और न ही दिनांक 10.02.2020 को कोई आदेशिका लिखी गई। इस प्रकार अपीलांटगण के विरूद्ध विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 को एकतरफा पारित कर दी गई। अपीलांटगण हमेशा यही समझते रहे की उनके अधिवक्ता पैरोकारी कर रहे है, परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में एकतरफा निर्णय व डिक्री हो गई जिसमें अपीलांटग्ण का कोई कसूर नहीं है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही व असावधानी के आधार पर अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

AIR 1981 SC Page 1400
RJT 2012(2) Page 1469
DNJ SC 1998 Page 47
RRT 2014(2) Page 881

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये तथा अपीलांटगण द्वारा उत्तरदातागण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से हस्तगत अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण व उनके दोनों अधिवक्ता की मंशा न्यायालय में पेश होने की कतई नहीं रही है, क्या अधिवक्ता बाड़मेर बैठते तो न्यायालय को उनकी सुविधा के लिये बाड़मेर आकर सुनवाई करवानी की मंशा रखकर लापरवाह हो गये थे, सोये हुऐ व लापरवाही व्यक्ति को बहानेबाजी से पेश होने पर सजगता से लड़े व्यक्ति के पक्ष में पारित निर्णय में अडंगा डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलांटगण जिन तथ्यों को लेकर अपील में आया है उन तथ्य के अवलोकन से उनका पक्ष उक्त अपील के जरिये सुनवाई करवाना का कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि रकबा 1064 बीघा पर यह न्यायालय हक हकुक तय नहीं कर सकते है उनके लिये अपीलांटगण को सक्षम न्यायालय में जाकर दावा पेश करना होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटगण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में समय पर पैरवी नहीं करने से उसकी सजा पक्षकारान को देना न्यायोचित नहीं है। RJT 2012(2) Page 1469(Counsel did not ppear in the Court No information given to non petitioner Party cannot be suffered for mistake of the counsel It cannot be expected from a party to remain present on every date even after engaging a lawyer Petitioner solemnized the marriage after service of the notice Held[Ex parte decree rightly se aside.) अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री 10.02.2020 पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंषिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2018 बअनवान मालसिंह वगै. बनाम राजसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2020 निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर